न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
85 / 2020 / प्रा.पत्र / 2020	23.10.2020	13.08.2021

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1—श्री लोकेश कुमार जैन पुत्र श्री नन्द किशोर जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स श्री पार्श्वनाथ किराणा स्टोर मेन मार्केट नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं0 07 मोदी मोहल्ला नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक राज0

2— मैसर्स श्री पार्श्वनाथ किराणा स्टोर मेन मार्केट नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक राज0

3—श्री जैनदत्त कुमार जैन पुत्र श्री गोविन्द लाल जैन निवासी वार्ड नं0 3 बागरियो की गली नैनवा जिला बून्दी प्रोपरायटर मैसर्स जिनदत्त कुमार जीवन्धर कुमार जैन मेन मार्केट नैनवा जिला बून्दी राज0

4—मैसर्स जिनदत्त कुमार जीवन्धर कुमार जैन मेन मार्केट नैनवा जिला बून्दी राज0

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एंव धारा 55 एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—

1—प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2—अप्रार्थीगण उपस्थित

:—**निर्णय**—: दिनांक 13.08.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.08.2020 को समय 3.42 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स श्री पार्श्वनाथ किराणा स्टोर मेन मार्केट नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक राज0 पर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से लोकेश कुमार जैन पुत्र श्री नन्द किशोर जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स श्री पार्श्वनाथ किराणा स्टोर मेन मार्केट नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं0 07 मोदी मोहल्ला नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोवार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का विक्रेता होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण क[illegible] को विक्रय हेतु दुकान मे चाय कंचन ब्राण्ड (Tea Kanchan Brand) र[illegible] का निरीक्षण करने पर मिलावट

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.08.26 12:02:21 IST
Reason: SelfAttested

1226

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

की शंका होने पर, विक्रता श्री लोकेश कुमार जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता लोकेश कुमार जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान की रैक मे रखी 250–250 ग्राम के 20 पैकेट **चाय कंचन ब्राण्ड** (Tea Kanchan Brand)रखे हुये मे से 250–250 ग्राम के 8 पैकेट को ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रता. श्री लोकेश कुमार जैन को रू0 580/–अक्षरे पांच सौ अस्सी रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **चाय कंचन ब्राण्ड** (Tea Kanchan Brand) 250–250 ग्राम के 8 पैकेटो को ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड लेकर चार भाग तेयार कर प्रत्येक भाग मे 500–500 ग्राम के नियमानुसार चार भाग कर तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं कमांक I–2575 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2575 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. लोकेश कुमार जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाध पदार्थ का नमूना कय करते समय श्री लोकेश कुमार जैन ने मौके पर **चाय कंचन ब्राण्ड** (Tea Kanchan Brand)बतोर वारन्टी मैसर्स जिनदत्त कुमार जीवन्धर कुमार जैन मेन मार्केट नैनवा जिला बून्दी राज0 का बिल प्रस्तुत किया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./2020/3179 दिनांक 16.09.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1199/एक्ट/2020/1268 दिनांक 02.09.2020 अनुसार लोकेश कुमार जैन से वास्ते नमूना जांच विकय किया गया चाय कंचन ब्राण्ड (Tea Kanchan Brand) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2[illegible] के [illegible]ारा 3(1) (zf) (c) (i) के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.08.26 12:02:21 IST
Reason: SelfAttested

1227

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का **चाय कंचन ब्राण्ड** (Tea Kanchan Brand)का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **चाय कंचन ब्राण्ड** (Tea Kanchan Brand)का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **चाय कंचन ब्राण्ड** (Tea Kanchan Brand)का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री लोकेश कुमार जैन पुत्र श्री नन्द किशोर जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स श्री पार्श्वनाथ किराणा स्टोर मेन मार्केट नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं0 07 मोदी मोहल्ला नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक राज0 पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार रू0) अप्रार्थी श्री जैनदत्त कुमार जैन पुत्र श्री गोविन्द लाल जैन निवासी वार्ड नं0 3 बागरियो की गली नैनवा जिला बून्दी प्रोपरायटर मैसर्स जिनदत्त कुमार जीवन्धर कुमार जैन मेन मार्केट नैनवा जिला बून्दी राज0पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार रू0) आरोपित की जाती हैअभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 13.08.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.08.26 12:02:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner